भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4912

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी

4912. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष 2024-25 सहित पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष 2024-25 सहित पांच वित्तीय वर्षों में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों और किए गए निवेश का क्षेत्रवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त एफडीआई प्रस्तावों के तहत दिए गए लाइसेंसों का क्षेत्रवार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस (अक्तूबर 2024) के अनुसार, विश्व जीडीपी में भारत के हिस्से तथा इसकी वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2020	2021	2022	2023	2024
विश्व जीडीपी (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	85,519.46	97,402.91	1,01,409.37	1,05,685.12	1,10,064.92

भारत की जीडीपी (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	2,674.85	3,167.27	3,353.47	3,567.55	3,889.13
विश्व जीडीपी की तुलना में भारत की जीडीपी का अनुपात (प्रतिशत में)	3.13	3.25	3.31	3.38	3.53

नोट: जीडीपी की गणना मौजूदा कीमतों पर की जाती है। भारत के लिए डाटा वित्त वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 का मूल्य 2024 के कॉलम में दर्शाया जाता है।

(ख): अप्रैल 2019 से मार्च 2025 (दिनांक 27.03.2025 तक) की अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर इस विभाग द्वारा तैयार किए गए मंत्रालय/विभाग-वार आंकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2024 तक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के जरिए संसूचित किए गए निवेश का क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े अक्तूबर, 2019 से रखे जा रहे है। तदनुसार, अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2024 तक एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के जरिए संसूचित किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग): एफडीआई प्रस्तावों के संबंध में दिए गए लाइसेंसों के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत (सरकारी अनुमोदन के बिना) 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। भारत एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना का विकास करके तथा व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके वैश्विक निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को निरंतर खोल रहा है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेश अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा

करती है और शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखकर समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है। एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निधारण कंपनियों, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलाप, कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं। वर्ष 2019 के बाद से एफडीआई नीति में किए गए सुधारों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4912 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल 2019 से मार्च 2025 तक (दिनांक 27.03.2025 की स्थिति के अनुसार) प्राप्त मंत्रालय/विभाग-वार एफडीआई प्रस्ताव

क्रम. सं.	मंत्रालय का नाम	कुल (संख्या)
1	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	222
2	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	161
3	आर्थिक कार्य विभाग	147
4	औषध विभाग	117
5	भारी उद्योग मंत्रालय	59
6	दूरसंचार विभाग	54
7	वित्तीय सेवाएं विभाग	54
8	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	34
9	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	29
10	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	21
11	अंतरिक्ष विभाग	14
12	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13
13	वस्त्र मंत्रालय	12
14	वाणिज्य विभाग	10
15	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	10
16	गृह मंत्रालय	9
17	विद्युत मंत्रालय	7
18	रेल मंत्रालय	6
19	पर्यटन मंत्रालय	6
20	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5
21	रक्षा उत्पादन विभाग	4
22	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	4
23	श्रम और रोजगार मंत्रालय	4
25	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	3
26	नागर विमानन मंत्रालय	3
27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	3
28	इस्पात मंत्रालय	3
29	उच्चतर शिक्षा विभाग (एमएचआरडी)	3

31	पोत परिवहन मंत्रालय	3
32	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3
33	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	6
34	खान मंत्रालय	1
36	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1
37	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	1
38	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	1
	कुल	**1033**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4912 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल 2019 से दिसंबर 2024 तक क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	क्षेत्र	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि
1	2	3
1	कृषि संबंधी मशीनरी	1,274.99
2	कृषि संबंधी सेवाएं	968.05
3	एयर परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	3,304.88
4	ऑटोमोबाइल उद्योग	16,131.77
5	बॉयलर और भाप उत्पन्न करने वाले संयंत्र	2.23
6	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	2,637.14
7	सिरेमिक	176.96
8	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	6,366.94
9	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	105.33
10	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	71,164.92
11	निर्माण (अवसंरचना) कार्यकलाप	20,896.80
12	निर्माण विकास: टाउनशिप, हाउसिंग, निर्मित अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाएं	1,847.95
13	परामर्शी सेवाएं	5,492.12
14	रक्षा उद्योग	14.43
15	हीरे, सोने के आभूषण	269.25
16	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	7,344.90
17	रंगाई का सामान	14.79
18	अर्थ मूविंग मशीनरी	228.77
19	शिक्षा	7,422.29
20	इलेक्ट्रिकल उपकरण	5,142.11
21	इलेक्ट्रॉनिक्स	3,902.38
22	किण्वन उद्योग	1,871.97
23	उर्वरक	58.92
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3,934.58
25	कांच	744.08
26	ग्लू और जिलेटिन	107.05
27	अस्पताल और नैदानिक केंद्र	5,596.10
28	होटल और पर्यटन	6,122.44

29	औद्योगिक उपकरण	9.55
30	औद्योगिक मशीनरी	2,092.78
31	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	3,179.70
32	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	136.56
33	मशीन टूल	336.60
34	मेडिकल और सर्जिकल एप्लाएंसेस	2,084.56
35	धातुकर्मीय उद्योग	7,024.15
36	खनन	958.60
37	विविध उद्योग	3,446.94
38	विविध मकैनिकल और इंजीनियरिंग उद्योग	956.95
39	गैर-परंपरागत ऊर्जा	13,503.29
40	कागज और लुग्दी (कागज उत्पादों सहित)	340.05
41	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1,117.93
42	विद्युत	5,368.41
43	प्राइम मूवर (इलेक्ट्रिकल जेनरेटर को छोड़कर)	982.92
44	पुस्तकों की छपाई (लीथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	1,160.87
45	रेल संबंधी घटक	458.93
46	खुदरा व्यापार	3,147.37
47	रबड़ के उत्पाद	778.98
48	वैज्ञानिक उपकरण	256.53
49	समुद्र परिवहन	2,566.76
50	सेवा क्षेत्र (वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कुरियर, प्रौद्योगिकी, परीक्षण और विश्लेषण, अन्य)	42,618.76
51	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय से संबंधित वस्तुएं	994.79
52	चीनी	35.79
53	चाय और कॉफी (कॉफी और रबड़ का प्रसंस्करण और भंडारण)	137.85
54	दूरसंचार	7,209.99
55	वस्त्र (रंगाई, छपाई सहित)	1,452.27
56	लकड़ी के उत्पाद	94.11
57	व्यापार	23,712.14
58	वनस्पति तेल और वनस्पति	206.67
	कुल योग	**299,514.91**

* एफडीआई संबंधी आंकड़े तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। कुल एफडीआई अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह,गैर-निगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। क्षेत्र/राज्य/देश-वार ब्यौरे एफडीआई अंतर्वाह के केवल इक्विटी घटक के लिए रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध-III

दिनांक 01.04. के भाग 4912 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध। (ख)

अप्रैल 2019 से दिसंबर 2024 तक राज्य-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1,111.31
2	अरुणाचल प्रदेश	7.03
3	असम	23.21
4	बिहार	215.76
5	चंडीगढ़	111.32
6	छत्तीसगढ़	97.31
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	179.29
8	दिल्ली	36,169.37
9	गोवा	182.16
10	गुजरात	44,766.94
11	हरियाणा	12,572.30
12	हिमाचल प्रदेश	328.34
13	जम्मू और कश्मीर	1.33
14	झारखंड	2,667.11
15	कर्नाटक	55,527.87
16	केरल	1,363.72
17	लद्दाख	0.22
18	मध्य प्रदेश	602.69
19	महाराष्ट्र	85,737.41
20	मणिपुर	0.0006
21	मेघालय	1.20
22	नागालैंड	0.06
23	ओडिशा	172.79
24	पुदुच्चेरी	69.72
25	पंजाब	1,209.42

26	राजस्थान	2,627.90
27	तमिलनाडु	13,840.90
28	तेलंगाना	9,844.94
29	त्रिपुरा	1.23
30	उत्तर प्रदेश	1,941.82
31	झारखंड	217.52
32	पश्चिम बंगाल	1,794.08
33	राज्य, जो दर्शाए नहीं गए	32.93
	कुल योग	**273,419.20**

*एफडीआई संबंधी आंकड़े तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। कुल एफडीआई अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह, गैर-निगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। क्षेत्र/राज्य/देश-वार ब्यौरे एफडीआई अंतर्वाह के केवल इक्विटी घटक के लिए रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 01.04. 4912 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 (ङ) और (घ) के भाग के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एफडीआई नीति संबंधी सुधारों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2019 के बाद से एफडीआई में हाल में किए गए सुधार निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2019

i. कोयला वॉशरी, क्रशिंग आदि जैसी संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयले की बिक्री और अन्य कोयला खनन कार्यकलापों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। इससे पहले, केवल सीमित खपत के लिए कोयला खनन में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति थी।

ii. विनिर्माण क्षेत्र में, संविदागत विनिर्माण के लिए प्रिंसिपल टु प्रिंसिपल अथवा प्रिंसिपल टु एजेंट के आधार पर स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई।

iii. सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) - एसबीआरटी कंपनी द्वारा भारत से की गई सभी अधिप्राप्ति को स्थानीय खरीद के रूप में गिना जाएगा, भले ही खरीदे गए सामान भारत में बेचे जाएं या निर्यात किए जाएं।

iv. डिजिटल मीडिया में, समाचार और समसामयिक विषयों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफडीआई की अनुमति दी गई। इससे पहले टीवी चैनलों में 49% और प्रिंट मीडिया में 26% एफडीआई की अनुमति थी।

वर्ष 2020

i. बीमा ब्रोकरों, सलाहकारों, टीपीए, सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं आदि जैसी बीमा संबंधी मध्यवर्ती सेवाओं में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। बीमा कंपनियों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% एफडीआई की अनुमति दी गई।

ii. एनआरआई द्वारा वायु परिवहन सेवाओं में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई। अन्य के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% और सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की सीमा बनी हुई है।

iii. प्रेस नोट-3 - यदि निवेशक कंपनी भू-सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है, अथवा यदि ऐसे निवेश का लाभकारी स्वामी वहां रहता है अथवा ऐसे देश का नागरिक है, तो केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि भारत में किसी कंपनी में मौजूदा या भावी एफडीआई का स्वामित्व इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है कि लाभकारी स्वामित्व इस प्रतिबंध के अंतर्गत आता है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए भी सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

iv. रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है (पहले यह 49%

थी)। सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 74% से अधिक और 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

वर्ष 2021

i. बीमा कम्पनियों में एफडीआई को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% से बढ़ाकर 74% किया गया तथा सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी गई।

ii. अनिवासी भारतीयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किया गया निवेश निवासियों के समान घरेलू निवेश माना जाएगा।

iii. पीएनजी क्षेत्र के पीएसयू में उन मामलों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई, जहां सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

iv. दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई।

वर्ष 2022

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 20% एफडीआई की अनुमति दी गई।

वर्ष 2024

अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप-क्षेत्रों/कार्यकलापों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु उदार बनाया गया है।

*****